


20-03-24 पत्रावली पेश। वकील उमयपाल उध.।
वकील प्रार्थी एवं वेंकटेश राज. की
बहस सुनी गई। बहस पर मंजूर
करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने
पर प्रार्थी का प्रस्ताव पत्र स्वीकार
करने योग्य नहीं होने के कारण
खारिज किया जा रहा है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
संलग्न किया गया। पत्रावली नम्बर
से एक दोकट दाखिल इफ्तार है।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(मनोज कुमार शर्मा)
RoAoS
